

10 $\frac{03}{25}$

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 RTI
नोटिफ़िकेशन किया।

वादीगण अधिवक्ता को सूना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा
वादीगण का वादपत्र नोटिफ़िकेशन करने पर
प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Note
press
by